चीन में कोरोना वायरस से अब तक 56 मरे, 2000 संक्रमित

बेजिंग, 26 जनवरी (भाषा/एएफपी)।

चीन में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या रविवार को 56 तक पहुंच गई है। वायरस चीन के अन्य प्रांतों व शहरों में भी फैल रहा है और इसकी चपेट में तकरीबन 2000 लोग आ गए हैं। चीन ने रविवार को दक्षिण शहर शांताउ को आंशिक रूप से बंद कर दिया है। बीमारी के स्रोत के रूप में चमगादड़ और कस्तूरी बिलाव की पहचान हुई है। यह वायरस चीन के बाहर हांगकांग, मकाऊ, नेपाल, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाइलैंड, वियतनाम और अमेरिका तक पहुंच चुका है।

चीन में फैली इस बीमारी को निमोनिया का नया प्रकार बताया जा रहा है जिसे 2019-एनसीओवी नाम दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि यह वायरस अब तक चीन में 56 व्यक्तियों की जान ले चुका है। अभी तक कुल 2684 लोग इसकी चपेट में आए हैं। इस बीमारी का केंद्र वुहान और हुबेई प्रांत के 17 अन्य शहरों को बताया जा रहा है जहां वायरस ने सबसे अधिक लोगों की जान ली है। लेकिन अब बेजिंग समेत चीन के अन्य प्रांतों और शहरों में भी इस प्रकार के मामले तेजी से फैल रहे हैं।

चीन ने पहली वायरस का केंद्र रहे वुहान के बाहर किसी शहर को बंद करने की घोषणा की है। चीन ने रविवार मध्यरात्रि से गैरआपात वाहनों को दक्षिण शहर शांताउ में जाने की अनुमति नहीं दी। तकरीबन 56 लाख की आबादी वाला यह शहर वुहान से 1,100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शांताउ से आ रहे लोगों की जांच की जाएगी और उनसे वापस जाने का अनुरोध किया जाएगा।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शनिवार को कहा कि चीन 'गंभीर स्थिति' का सामना कर रहा है लेकिन साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि चीन कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई को जीत लेगा। चीन ने रविवार को एलान किया कि वह वुहान में अगले 15 दिन में 1300 बिस्तरों का एक और अस्थायी अस्पताल बनाएगा। शहर में इस समय एक हजार बिस्तरों का अस्पताल पहले ही बनाया जा रहा है जिसका काम दस दिन में पूरा हो जाएगा।

चीन जिस तरीके से युद्ध स्तर पर अस्पतालों का निर्माण करने में जुटा है, उससे लगता है कि उसे इस बीमारी की तीव्रता और गंभीरता का अंदाजा है और वह ज्यादा से ज्यादा मरीजों के इलाज के लिए खुद को तैयार कर रहा है। शी ने बसंत उत्सव या चीनी नववर्ष पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, 'जब तक देश में मजबूत विश्वास और वैज्ञानिक सोच के साथ साझा प्रयास करने की शक्ति है तब तक वायरस के प्रसार की रोकथाम और नियंत्रण के उपायों में हमारी जीत होगी।'

बेजिंग में वायरस कोरोना के बारे में राज्य काउंसिल सूचना कार्यालय से रविवार को जानकारी लेते मीडियाकर्मी।

महामारी

चीन में वुहान के अलावा अन्य शहरों में भी फैला

शहर शांताउ को आंशिक रूप से बंद किया गया है

बीमारी के स्रोत के रूप में चमगादड़ व कस्तूरी बिलाव की पहचान हुई

2684 लोग अभी तक इसकी चपेट में आए हैं।

वुहान में अगले 15 दिन में 1300 बिस्तरों का एक और अस्थायी अस्पताल बनाएगा।

कर्मियों को बाहर निकालेगी कंपनी

पेरिस, 26 जनवरी (एएफपी)।

फ्रांस की कार निर्माण कंपनी पीएसए ने शनिवार को कहा कि वह वुहान से अपने कर्मचारियों को वापस बुलाएगी। फ्रांस में कोरोना वायरस के तीन मामले सामने आ चुके हैं। पीएसए ने कहा कि कर्मचारियों को वुहान से निकालने की प्रक्रिया चीन के अधिकारियों और फ्रांस के वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों की पूरी मदद से की जाएगी।

नागरिकों को निकालेगा अमेरिका

वुहान (चीन), 26 जनवरी (एएफपी)।

अमेरिका मध्य चीन के वुहान में फैले घातक कोरोनावायरस के मद्देनजर वहां फंसे अपने कर्मियों और अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए उड़ान की व्यवस्था करने में जुटा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी।विभाग ने चीन में अमेरिकियों को भेजे ई-मेल में कहा है कि मंगलवार को उड़ान वुहान से लोगों को लेकर सैन फ्रांसिस्को पहुंचेगा लेकिन उसमें आम नागरिकों के लिए सीमित जगह होगी।

हांगकांग का डिज्नीलैंड बंद

हांगकांग, 26 जनवरी(एएफपी)।

हांगकाग में डिज्नीलैंड ने आगंतुकों के लिए अपने दरवाजें बंद कर दिए हैं। यह निर्णय स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। डिज्नीलैंड के प्रतिद्वंद्वी पार्कों में से एक ओसियन पार्क ने भी अपने दरवाजे बंद करने की जानकारी दी है। शंघाई का भी डिज्नीलैंड बंद कर दिया गया है।

पाकिस्तान में गर्भवती ईसाई महिला को गोली मारी गई

कराची, 26 जनवरी (भाषा)।

पाकिस्तान के कराची में दो अज्ञात लोगों ने 36 वर्षीय गर्भवती ईसाई महिला को उस समय गोली मार दी जब वह स्कूल के बाहर खड़ी थी।

पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के मुताबिक किरन नामक गर्भवती महिला अपने पति अमजद के साथ कोरांगी इलाके के कराची पब्लिक स्कूल में अपने बेटे का नामांकन कराने गई थी। अखबार ने बताया कि हमले के वक्त महिला कार में पति और बेटे का स्कूल से आने का इंतजार कर रही थी तभी मोटरसाइकिल पर सवार आए हमलावर गोली मारकर भाग गए। खबर के मुताबिक महिला को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि महिला के सीने में गंभीर जख्म आई है और गोली उसके हाथ से होकर गुजरी है। हालांकि, महिला की सेहत में सुधार हो रहा है। पुलिस ने घटना के पीछे लूटपाट की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि महिला से कोई लूटपाट नहीं हुई है। परिवार ने पुलिस को बताया कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है।

'पाक का भारत से रिश्ता तनावपूर्ण होगा'

इस्लामाबाद, 26 जनवरी (भाषा)।

पाकिस्तानी थिंक टैंक ने रविवार को कहा कि 2020 में पाकिस्तान के लिए विदेश मामले चुनौतीपूर्ण रहेंगे और भारत के साथ रिश्ते भी तल्ख बने रहेंगे। इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट 'पाकिस्तान आउटलुक 2020 : पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सिक्युरिटीज' में कहा कि भारत के साथ तनाव की वजह से पाकिस्तान का अधिकतर रणनीतिक और कूटनीतिक समय जाया होगा।' पाकिस्तानी अखबार डॉन ने रिपोर्ट को उद्धत करते हुए कहा, 'अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया भी भविष्य में अनिश्चितता से घिरी रहेगी।

नेपाल के विकास में भारत अहम भागीदार : ओली

काठमांडो/दुबई/माले, 26 जनवरी (भाषा)।

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने रविवार को कहा कि नेपाल के विकास में भारत न सिर्फ अहम भागीदार है बल्कि वह कारोबार, पारगमन व प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में सबसे बड़ा मित्र है और कई क्षेत्रों में आपसी समझ दोनों देशों को 'फायदेमंद स्थिति' में लाने का काम करेगी।

भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने संदेश में ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और समूचे विश्व में रह रहे भारतीयों को उनके बेहतर स्वास्थ्य, खुशी एवं निरंतर समृद्धि के लिए शुभकामनाएं दीं। नेपाल के प्रमुख अखबारों में रविवार को प्रकाशित अपने संदेश में उन्होंने कहा, 'भारत नेपाल के विकास का न सिर्फ अहम भागीदार है बल्कि वह कारोबार, पारगमन, निवेश, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कई क्षेत्रों के संदर्भ में सबसे बड़ा मित्र देश भी है।'

यूएई में गणतंत्र दिवस : भारत का 71वां गणतंत्र दिवस संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भी मनाया गया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें देश के मिशन और सैकड़ों भारतीय मूल के लोग शामिल हुए। भारतीय दूतावास ने समारोह की तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, 'राजदूत पवन कपूर ने 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मौके पर दूतावास में तिरंगा झंडा फहराया।'

बधाई : मालदीव और लिथुआनिया के विदेश मंत्रियों ने रविवार को 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दीं। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने इस अवसर पर ट्विटर पर शुभकामना देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच खास मित्रता ऐसे ही निरंतर फलती-फूलती रहे।

INDOSTAR CAPITAL FINANCE LTD.

Registered Office: - One Indiabulls Centre, 20th Floor, Tower 2A, Jupiter Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Mumbai – 400013. India.
Phones:-022 – 43157000 Web: - www.Indostarcapital.com
Auction Place/Branch Office At: M-5A, 4th Floor, Mythri House Middle Circle, Connaught Place, New Delhi – 110001, India.

INDOSTAR

अनुलग्नक-IV-A
[नियम 8(6) का प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी-सह-विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु नीलामी विक्रय।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों (''अचल सम्पत्तियों''), जिस पर इण्डोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार/इण्डोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी ने भौतिक कब्जा कर लिया है, की बिक्री ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर 1) नीरज चौधरी, निवासी मकान नं. 781, सेक्टर-17ए, गुरुग्राम (हरियाणा) 122001, 2) श्रीमती मोनिया चौधरी निवासी मकान नं. 781, सेक्टर-17ए, गुरुग्राम (हरियाणा) 122001 पत्नी नीरज चौधरी, 3) मैसर्स सैफायर डिजिटल प्रिन्टर्स जिसका कार्यालय बी-94, उद्योग विहार, फेज-5, गुरुग्राम (हरियाणा)233002 है, से देय एवं बकाया रु. 3,52,87,545 (रुपये तीन करोड़ बावन लाख सत्तासी हजार पाँच सौ पैंतालीस मात्र) तथा प्रतिभूत लेनदार को देय ब्याज, लागतों तथा अनुबन्धात्मक दर पर प्रभारों की वसूली हेतु दिनांक 14.02.2020 को की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 3,62,59,200/- (रुपये तीन करोड़ बासठ लाख उनसठ हजार दो सौ मात्र) होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 36,25,920/- (रुपये छत्तीस लाख पच्चीस हजार नौ सौ बीस मात्र) होगी।

ज्ञात ऋणभार तथा बिक्री की निश्चित शर्तों सहित अचल सम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण

क्र.स.	ऋण खाता सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार(रों) के नाम	माँग सूचना की राशि तथा तिथि	आरक्षित मूल्य (आरपी)	ज.ध.रा. (आरपी का 10%)तथा अन्तिम तिथि	निरीक्षण की तिथि तथा समय	नीलामी की तिथि तथा समय	ज्ञात ऋणभार, यदि कोई हो
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
1.	LSDEL00116-17000088	1. नीरज चौधरी 2. मोनिया चौधरी 3. सैफायर डिजिटल प्रिन्टर्स	रु. 3,52,87,545/- 28.12.2018	रु. 3,62,59,200/-(रुपये तीन करोड़ बासठ लाख उनसठ हजार दो सौ मात्र)	रु. 36,25,920/- (रुपये छत्तीस लाख पच्चीस हजार नौ सौ बीस मात्र) तथा 13.02.2020.	05.02.2020 को 12.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. तक	14.02.2020 को 5.00 बजे अप.	कोई नहीं
अचल सम्पत्तियों का विवरण (1)	भवन स. ए-67, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली पर सम्पूर्ण द्वितीय एवं तृतीय तल जिसमें तीन बेडरूम अटैच्ड बाथरूम, एक ड्राइंग/डाइनिंग रूम, किचन, लॉबी तथा पीछे बालकनी, कॉमन डब्ल्यूसी सहित तृतीय तल के ऊपर एक सर्वेन्ट क्वार्टर तथा भवन में भूतल पर ड्राइववे में दो कार पार्क करने का अधिकार एवं तृतीय तल के ऊपर सम्पूर्ण टेरेस तथा भवन में कथित फ्रीहोल्ड भूमि का पर अविभाजित अविभाजनीय तथा अपक्षपाती मालिकाना हक का सम्पूर्ण भाग, भूमि की माप 250 वर्ग गज।							

सार्वजनिक नीलामी के नियम एवं शर्तें:-

1. बिक्री पूर्णतः नीचे उल्लिखित नियम एवं शर्तों तथा इच्छुक संविदाकारों द्वारा जमा किये जाने वाले प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के आधार पर की जायेगी।
2. अचल सम्पत्तियों की बिक्री ज्ञात ऋणभारों, यदि कोई हो, सहित ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी। नीलामी के अधीन अचल सम्पत्तियों का निरीक्षण यहाँ निर्दिष्ट तिथि तथा समय पर 05.02.2020 को 12.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच किया जा सकता है। संविदा आवेदन प्रपत्र, धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करने के सम्बन्ध में किसी पूछताछ या स्पष्टीकरण के लिए कृपया इण्डोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें (सम्पर्क विवरण नीचे उपपद (4) में दिया गया है)। यदि नीलामी के संचालन में कोई तकनीकी खामी या त्रुटि होती है तो नीलामी शाखा स्तर पर भी की जा सकती है।
3. हमने विपणन अथवा सम्भावित संविदाकारों/क्रेताओं की खोज के लिए स्थानीय विपणन एजेन्सी/सेवा प्रदाताओं को नियुक्त किया है जो सरफाएशी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न कराने में सहायता भी करेंगे।
4. निविदाकारों/सम्भावित संविदाकारों/क्रेताओं को अपने प्रस्ताव के साथ स्तम्भ (ई) में सन्दर्भित के अनुसार जमा धरोहर राशि (ईएमडी) दिल्ली शाखा में देय इण्डोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट या पेऑर्डर के माध्यम से मुहरबन्द लिफाफे में रखकर उस पर ''अचल सम्पत्तियों/सम्पत्ति के क्रय हेतु प्रस्ताव'' लिखकर इस प्रकार जमा करना होगा ताकि यह हमारे अधिकृत प्राधिकारी/व्यक्ति श्री सुप्रीत सिंह, मोबाइल : 9873018111 के पास संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि अर्थात 13.02.2020 को 5.00 बजे अप. से पूर्व पहुँच जाये। सफल संविदाकार द्वारा प्रदत्त ईएमडी की राशि विक्रय मूल्य में समायोजित कर दी जायेगी।
5. जो प्रस्ताव उचित रूप से भरे नहीं होंगे या प्रस्ताव के साथ ईएमडी नहीं होगी या इसमें वर्णित तिथि तथा समय के पश्चात प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा/वैध प्रस्ताव नहीं माना जायेगा, तदनुसार इन्हें निरस्त कर दिया जायेगा। ज.ध.रा. पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
6. इच्छुक संविदाकार प्रस्ताव दस्तावेज के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की एक प्रति (अथवा प्रपत्र 60) तथा अपना पहचान पत्र का प्रमाण और आवास का प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, चुनाव आयोग कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की प्रति भी संलग्न करेगा।
7. अचल सम्पत्तियों की बिक्री उच्चतम संविदाकार/प्रस्तावकर्ता को की जायेगी बशर्ते इण्डोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदार/नीलामी विक्रय समिति द्वारा इसकी स्वीकृति हो। उपर्युक्त अचल सम्पत्तियों की ऑनलाइन/इंटर-से संविदा ऊपर स्तम्भ ''जी'' में उल्लिखित निर्धारित तिथि तथा समय पर और हमारे इण्डोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड की वेबसाइट पर की जायेगी। किन्तु, अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी प्रस्ताव/निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का विशेषाधिकार होगा।
8. कथित अचल सम्पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में समस्त अधिबकायों सहित समस्त बकायों तथा व्ययों, अर्थात निगम करों, रखरखाव/सोसाइटी प्रभारों, बिजली एवं पानी के करों अथवा किसी अन्य बकायों का भुगतान सफल संविकार(रों)/क्रेता द्वारा किया जायेगा।
9. सफल संविदाकार/क्रेता को विक्रय राशि (ज.ध.रा. सहित) की 25% राशि का भुगतान विक्रय के परिप्रेक्ष्य में अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात तुरन्त करना होगा जिसमें असफल रहने पर ईएमडी जब्त कर ली जायेगी।
10. विक्रय मूल्य की शेष 75% राशि अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सफल क्रेता को विक्रय की पुष्टि प्रदान करने के 15 दिनों के भीतर या प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्रतिभूत लेनदान के एकमात्र विशेषाधिकार द्वारा लिखित में सहमति के आधार पर किसी विस्तारित तिथि तक करनी होगी। विक्रय मूल्य के शेष 75% की राशि या उसके किसी भाग के निर्धारित तिथि अवधि के भीतर भुगतान करने में चूक करने की स्थिति में जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और प्रतिभूत लेनदार को एक बार पुनः अचल सम्पत्तियों का विक्रय करने की स्वतन्त्रता होगी और चूककर्ता क्रेता अचल सम्पत्तियों या उसके क्रय के लिए पहले प्रदत्त राशि के किसी भाग के प्रति कोई दावा नहीं कर सकेगा।
11. यहाँ ऊपर वर्णित अचल सम्पत्तियाँ अधोहस्ताक्षरी अधिकृत प्राधिकारी द्वारा विक्रय की पुष्टि की तिथि से आग या चोरी या अन्य दुर्घटनाओं द्वारा क्षति एवं अन्य जोखिम सहित प्रत्येक पक्ष में पूर्ण रूप से सफल क्रेता के एकमात्र जोखिम पर होंगी। सफल संविदाकार किसी भी प्रकृति के आधार पर विक्रय को रद्द नहीं कर सकेगा।
12. यदि आस्तियों की अन्तिम संविदा/विक्रय राशि रु. 50.00 लाख या इससे अधिक है तो सफल संविदाकार इसे घटायेगा और घटाये गये के अनुसार कर्जदार का पैन नम्बर देते हुए विक्रय राशि से संविदा राशि का 1% की दर से टीडीएस का भुगतान करेगा जिसे संविदा पूर्ण होने के पश्चात अधिकृत प्राधिकारी/बैंक से प्राप्त किया जा सकता है और विक्रय राशि का शेष 99% निर्धारित समय के भीतर बैंक को देय होगा। अतः, उच्चतम सफल संविदाकार आयकर अधिनियम, 1961 के खण्ड (194-IA) के अनुसार कर्जदार के पैन पर पुनः कब्जाकृत आस्ति के क्रय पर 1% की दर से टीडीएस जमा करने के लिए बाध्य होगा।
13. ऐसे मामलों में नीलामी के तहत आस्ति की विक्रय वसूली राशि रु. 50.00 लाख है या अधिक है तो सफल संविदाकार/क्रेता को उपर्युक्त सम्पूर्ण विक्रय राशि के भुगतान तथा विक्रय औपचारिकताओं की पूर्णता के पश्चात केवल टीडीएस जमा करने पर प्रपत्र सं. 26क्यूबी में चालान-सह-विवरण की प्राप्ति पर सरफाएशी अधिनियम एवं नियम 2002 के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार अचल सम्पत्तियों हेतु एक विक्रय प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा। इसके पश्चात बैंक के पास प्रपत्र 16बी में टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
14. विक्रय प्रमाण पत्र पंजीकृत करवाना सफल संविदाकार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। उपर्युक्त सन्दर्भित अचल सम्पत्तियों के लिए सरफाएशी अधिनियम एवं नियम 2002 के तहत निर्धारित प्रारूप में निर्गत विक्रय प्रमाणपत्र के पंजीकरण के परिप्रेक्ष्य में स्टैम्प शुल्क, पंजीकरण प्रभारों, अन्तरण प्रभारों तथा अन्य व्ययों एवं प्रभारों से सम्बन्धित समस्त व्ययों का वहन सफल संविदाकार/क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा। विक्रय प्रमाणपत्र अन्तरण के विषय में राज्य के कानूनों/नियमों के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र पंजीकृत कराना होगा अन्यथा क्रेता को पंजीकरण के विलम्ब के कारणों का उल्लेख करते हुए प्रतिभूत लेनदार के पास निवेदन-पत्र देना होगा।
15. अधिकृत प्राधिकारी उच्चतम प्रस्ताव या कोई या समस्त प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, प्रतिभूत लेनदार के रूप में इण्डोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड को बिना कोई कारण बताये किसी या समस्त संविदा(ओं) को अस्वीकार करने का अधिकार है। यदि संविदाएँ अस्वीकार की जाती हैं तो अधिकृत प्राधिकारी किसी निविदाकृत या इच्छुक संविदाकारों या अन्य पक्षों से निजी सन्धि द्वारा अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु मोल-भाव कर सकता है। बिक्री इंडोस्टार फाइनेंस लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदार/नीलामी विक्रय समिति तथा संशोधित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 द्वारा पुष्टि का विषय होगी।
16. इच्छुक संविदाकारों/प्रस्तावकर्ताओं या स्वयं, अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को नीलामी/विक्रय प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। किन्तु, विक्रय प्रमाण-पत्र केवल उन क्रेताओं के पक्ष में पंजीकृत होगा जिसके नाम से संविदा आवेदन प्रपत्र जमा किया गया है।
17. अधिकृत प्राधिकारी को बिना किसी पूर्व सूचना के अपने विशेषाधिकार पर विक्रय हेतु इस सूचना के किसी भी नियम एवं शर्त को परिवर्तित करने का अधिकार है और वह कथित पुनः कब्जाकृत बंधक अचल सम्पत्तियों की बिक्री में पेशेवर शुल्क देकर मार्केटिंग एजेन्ट या सेवा प्रदाता की सेवाएँ भी ले सकता है जिसे कर्जदार से वसूला जायेगा।
18. यदि प्रतिभूत लेनदार द्वारा व्यय किये गये समस्त लागत प्रभारों तथा व्ययों सहित समस्त बकाये नीलामी की तिथि के पूर्व एक कार्यकारी दिवस तक उपर्युक्त नामधारी कर्जदार/सहकर्जदार अदा कर देते हैं तो अचल सम्पत्तियों की बिक्री नहीं की जायेगी और संभावित संविदाकारों से प्राप्त समस्त संविदाएँ इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के बिना किसी दायित्व/दावे के उन्हें वापस कर दी जायेगी।
19. यदि बकाये पूर्ण रूप से अदा नहीं किये गये तो उपर्युक्त तिथि पर विक्रय करने की सहायता के विषय में यह प्रकाशन कर्जदारों/बंधककर्ता(ओं) के लिए 30 दिन की सूचना भी है।
20. निविदाकृत दस्तावेज इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड की स्थानीय शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं। विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.lndostarcapital.com देखें।
21. कर्जदारों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि वे इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड को पूर्व सूचना देकर प्रकाशन की तिथि के 15 दिनों के भीतर इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के संरक्षण में कथित बंधक सम्पत्तियों के भीतर पड़ी अपनी निजी घरेलू वस्तुएं/सामान, यदि कोई हो, अवश्य निकाल लें जिसमें असफल रहने इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड की इसके प्रति कोई दायित्व/जिम्मेदारी नहीं होगी और यह कर्जदारों/बंधककर्ताओं के जोखिम पर निस्तारित कर दी जायेंगी।
22. विशेष निर्देश : अन्तिम क्षणों में संविदा करने से संविदाकारों को बचना चाहिए क्योंकि इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेडऐसी विषम स्थितियों को संरक्षित करने के क्रम में किसी लैप्स/असफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, संविदाकारों से समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ/वैकल्पिक बैक-अप आदि की व्यवस्था करने का निवेदन किया जाता है ताकि वे इन विषम स्थितियों से निपटने में सक्षम हो सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। नीलामी का विक्रय स्तम्भ सं. जी में उल्लिखित के अनुसार नीलामी बिक्री के समापन समय पर स्वतः ही बन्द हो जायेगा। अधिकृत प्राधिकारी अपने विशेषाधिकार के प्रयोग द्वारा नीलामी विक्रय को 15 मिनट तक विस्तारित करने के अधिकार का उपयोग कर सकता है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.01.2020

सुप्रीत सिंह
अधिकृत प्राधिकारी
कृते इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष (न्यायालय-VI) प्रधानपीठ
कम्पनी याचिका सं. सीएए-163(एनडी)2019
कम्पनी आवेदन सं. – सीएए (सीएए)-171(एनडी)/2019
से सम्बद्ध
धारा 230-232 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के मामले में
एवं
पिनेकल इन्फ्राकॉन लिमिटेड
....अन्तर कम्पनी सं.1/याचिकाकर्ता कम्पनी नं.1
और
अनुज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
....अन्तर कम्पनी सं.2/याचिकाकर्ता कम्पनी नं.2
और
एकोर सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
....अन्तर कम्पनी सं.3/याचिकाकर्ता कम्पनी नं.3
और
शबनम प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
....अन्तर कम्पनी सं.4/याचिकाकर्ता कम्पनी नं.4
और
कैपिटल टावर्स प्राइवेट लिमिटेड
....अन्तर कम्पनी सं.5/याचिकाकर्ता कम्पनी नं.5
और
डी.जे. एग्री इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
....अन्तर कम्पनी सं.6/याचिकाकर्ता कम्पनी नं.6
और
स्नोपीक इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
....अन्तर कम्पनी सं.7/याचिकाकर्ता कम्पनी नं.7
और
पीनेकल कन्स्ट्रक्सन प्राइवेट लिमिटेड
....अन्तर कम्पनी सं.8/याचिकाकर्ता कम्पनी नं.8
और
पीनेकल टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड
....अन्तर कम्पनी सं.9/याचिकाकर्ता कम्पनी नं.9
और
पीनेकल टाउन प्लानरस प्राइवेट लिमिटेड
....अन्तर कम्पनी सं.10/याचिकाकर्ता कम्पनी नं.10
के साथ
आर.जे. कॉर्प लिमिटेड
......अन्तरिती कम्पनी सं.11/याचिकाकर्ता कम्पनी नं.11
और
तथा उनके सम्बद्ध शेयरधारकों एवं लेनदारों के मामले में

यह सूचना दी जाती है कि धारा 230-232 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के तहत एक याचिका पिनेकल इन्फ्राकॉन लिमिटेड, अनुज ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड, एकोर सोलर एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, शबनम प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, कैपिटल टावर्स प्राईवेट लिमिटेड, डी.जे. एग्री इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, स्नोपीक इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड, पीनेकल कन्स्ट्रक्सन प्राईवेट लिमिटेड, पीनेकल टाउनशिप प्राईवेट लिमिटेड, पेनेकल टाउन प्लानरस प्राईवेट लिमिटेड के साथ आर.जे. कॉर्प लिमिटेड के समामेलन की योजना तथा उनके सम्बद्ध शेयरधारकों और लेनदारों की स्वीकृति/अनुमोदन हेतु धारा 230 तथा 232 एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के तहत, उपर्युक्त नामवारी 'याचिकाकर्ता कम्पनियों ने 17 दिसम्बर 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, प्रधानपीठ ('माननीय एनसीएलटी') के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की थी और कथित याचिका में माननीय एनसीएलटी द्वारा 03 जनवरी 2020 को आदेश दिया गया था। अब कथित याचिका, 18 फरवरी 2020 को 10:30 बजे प्रातः या ठीक इसके बाद अन्तिम सुनवाई के लिए निर्धारित की गयी है। अन्तरक तथा अन्तरिती कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एफ-2/7, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस- I, नई दिल्ली-110020

कथित याचिका का समर्थन या विरोध करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, अपने इरादे की सूचना स्वयं या अपने अधिवक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर और अपने पूर्ण नाम तथा पते सहित, याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि के पास, उनके नीचे लिखे पते पर याचिका के लिए सुनवाई की निर्धारित तिथि से अधिकतम 2 (दो) दिन पूर्व पहुंच जानी चाहिए। जहां यह याचिका का विरोध करता है, वहां विरोध की पृष्ठभूमि अथवा याचिका के विरोध के इरादे में प्रयुक्त शपथपत्र की एक प्रति, इस सूचना के साथ संलग्न करनी होगी। इस आशय वाले किसी भी व्यक्ति को निर्धारित प्रभारों के भुगतान पर याचिका की एक प्रति याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कर दी जायेगी।

अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से
हस्ता/-
देवेश कुमार वशिष्ठ/अपूर्वा जैन
कार्यरत कम्पनी सचिव/वकील
बी-88, प्रथम तल, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली-110024
मो. नं. 9582903008
ई-मेलः sanjaygrover7@gmail.com

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 जनवरी, 2020

फॉर्म-ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)
अतुल वाटिका डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानाकर्षण हेतु

	प्रासंगिक विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	अतुल वाटिका डेवलपर्स प्रा. लि.
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के गठन की तिथि	25/04/2012
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणी गठित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज – दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणी की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी संख्या/सीमित देयता पहचान संख्या	U45300DL2012PTC234778
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकरण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजी. कार्या: 308 (पुराना नं. 135), मैदानगढ़ी, दिल्ली-110068, भारत
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के सम्बन्ध में दिवाला आरम्भ तिथि	22/01/2020 आदेश की तिथि 24/01/2020 आदेश की प्रतिलिपी प्राप्त होने की तिथि
7.	दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख	22/07/2020 (22/01/2020 से)
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम व पंजीकरण संख्या	श्री अखिलेश कुमार गुप्ता पंजी. सं. IBBI/IPA-001/ IP-P00780/2017-2018/11353
9.	अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ईमेल जो समिति के पास पंजीकृत हो	पताः ए-16/4, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 ईमेलःAKHILESH@LLCA.NET
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार, के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई-मेल	पताः लूथरा एण्ड लूथरा रीस्ट्रक्चरींग एण्ड इंसोल्वेंसी एडवाईजर एलएलपी, ए-16/9, वसंत विहार, नई दिल्ली 110057 ईमेलः AVDPL.IRP@LLCA.NET
11.	दावों के निवेदन की अंतिम तिथि	09/02/2020
12.	धारा 21 के उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों की कक्षाएं, यदि कोई हों, अंतरिम संकल्प पेशेवर द्वारा निर्धारित	लागू नहीं है
13.	दिवालियापन पेशेवरों के नाम एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने जाते हैं (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	लागू नहीं है
14.	(क) प्रासंगिक फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	क) प्रासंगिक फार्मः कृप्या नीचे वर्णित कम सं 5 देखें। ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण : लागू नहीं है

1. अतः सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली बेन्च-V द्वारा दिनांक 22.01.2020 को मैसर्स अतुल वाटिका डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है। 2. एतद्द्वारा अतुल वाटिका डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के पास 9 फरवरी, 2020 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करें। 3. फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते है। 4. प्रविष्टि सं 12 के अधीन सूचीबद्ध अनुसार वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदार को फार्म सी ए में वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए प्रविष्टि सं.13 के अधीन तीन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल में से अपनी पसंद का एक अधिकृत प्रतिनिधि चुनना होगा। 5. दावे के सबूत निम्नलिखित निर्दिष्ट फार्म द्वारा जमा कराये जा सकते है। **फॉर्म बीः** दावों का सबूत परिचालित लेनदार हेतु, कारीगर व अन्य कर्मचारी छोड़कर, **फॉर्म सीः** वित्तीय लेनदार द्वारा दावा प्रस्तुत करने हेतु, **फॉर्म सीएः** एक वर्ग में वित्तीय लेनदार दावा प्रस्तुत करने हेतु, **फॉर्म डीः** दावों का सबूत कारीगर व अन्य कर्मचारी हेतु, **फॉर्म ईः** कारीगर व अन्य कर्मचारी के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दावों का सबूत प्रस्तुत करने हेतु, **फॉर्म एफः** दावों का सबूत लेनदार हेतु (परिचालित लेनदार व वित्तीय लेनदार को छोड़कर), उपर्युक्त फार्म इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड आफ इंडिया के पोर्टल से अर्थात https://ibbi.gov.in या अंतरिम समाधान प्रोफेशनल्स के पोर्ट से अर्थात http://www.llcairp.com/ डाउनलोड किये जा सकते हैं।
दावों के संदर्भ में झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर जुर्माना देय होगा।

हस्ता./-
(अखिलेश कुमार गुप्ता)
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल्स
अतुल वाटिका डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/ IP-P00780/2017-2018/11353

दिनांकः 24/01/2020
स्थानः नईदिल्ली

फॉर्म नं. एन सी एल टी 3 ए
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल,
इलाहाबाद बेंच, इलाहाबाद
कंपनी याचिका सं. सीपी नं. 27/ए एल डी/2020
कंपनी आवेदन सं. सीए नं. 522/ए एल डी/2019
से संबंधित
कंपनीज (वचनबद्धता, प्रबंधन व समामेलन) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 व अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत आवेदन

ओलम्पस ओवरसीज लिमिटेड, कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एक निगमित कंपनी, इसका पंजीकृत कार्यालय सी एम-28 सी, पहली मंज़िल, गगन एन्क्लेव, अमृत नगर, जीटी रोड, गाजियाबाद-201009, उत्तर प्रदेश
..........(हस्तांतरणकर्ता कंपनी-।/याचिकाकर्ता कंपनी-।)
और
के डी बी सिस्टम्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एक निगमित कंपनी, इसका पंजीकृत कार्यालय सी एम-28, पहली मंज़िल, गगन एन्क्लेव, अमृत नगर, जीटी रोड, गाजियाबाद-201009, उत्तर प्रदेश
..........(हस्तांतरणकर्ता कंपनी-॥/याचिकाकर्ता कंपनी-॥)
के साथ
अमृत वनस्पति कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एक निगमित कंपनी, इसका पंजीकृत कार्यालय ए-95, सेक्टर-65, नोएडा-201309 उत्तर प्रदेश
..........(हस्तांतरिती कंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी-III)
के समामेलन की योजना के मामले में
याचिका की सूचना

अमृत वनस्पति कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, (हस्तांतरिती कंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी-III) के साथ ओलम्पस ओवरसीज लिमिटेड, (हस्तांतरणकर्ता कंपनी-।/याचिकाकर्ता कंपनी-।) और के डी बी सिस्टम्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी-॥/याचिकाकर्ता कंपनी-॥) के समामेलन की योजना की स्वीकृति स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत एक संयुक्त याचिका 21 जनवरी, 2020 को याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी और उक्त याचिका के लिए 06 मार्च, 2020 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इलाहाबाद बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित किया है।

उक्त याचिका के समर्थन या विरोध का इच्छुक कोई व्यक्ति, अपने नाम व पते के साथ अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपनी इच्छा की सूचना याचिकाकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि/अधिवक्ता को भेज सकता है जो याचिका की सुनवाई की तिथि से कम से कम दो दिन पहले, उसके बाद नहीं, उनके पास पहुंच जानी चाहिए। जहां वह याचिका का विरोध करता है तो विरोध के आधार या हलफनामे की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ तैयार की जानी चाहिए। याचिका की प्रति अधिवक्ता किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उसके निर्धारित भुगतान के बाद अधोहस्ताक्षरी द्वारा तैयार की जाएगी।

हस्ता./-
अनिल कुमार
प्रैक्टिस में कंपनी सचिव
(याचिकाकर्ता कंपनियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि)
एफ सी एस-5693, सी.पी. नं. 5592
यू-21, ग्राउंड फ्लोर, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद-211001 (उ.प्र.)
मो: +91-9415306147, फोन नं. 0532-2560167
ई-मेल आईडी: purswanianil@gmail.com

दिनांकः 23 जनवरी, 2020
स्थानः नोएडा

www.readwhere.com